सं. 11013/9/2014-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-III डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 28 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आधार-समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत करना।

अधोहस्ताक्षरी को, सचिव, इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 23.12.2014 के अ.शा. पत्र सं. एसएसडी/डीईआईटीवाई/बीएएस/2014-74 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें यह कहा गया है कि बहुत से कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) में उपस्थिति दर्ज करने वाले कर्मचारियों की संख्या में भारी अंतर है। सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से सभी कर्मचारियों को बीएएस पोर्टल पर नियमित आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने संबंधी निदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. दिनांक 21.11.2014 के का.ज्ञा.सं. 11013/9/2014-स्था.क-III के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में केन्द्र सरकार के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में आधार-समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे इस प्रणाली में स्वयं को पंजीकृत करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। देर से आने की उपस्थिति/अप्राधिकृत अनुपस्थिति के मामलों से निपटने संबंधी अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं, जिनका अनुपालन किया जाए।

3. अतः अनुरोध है कि बीएएस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर उपस्थिति दर्ज करने संबंधी आवश्यक निदेश जारी किए जाएं।

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 23093179

सेवा में:

सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)